राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प. 4(11)नविवि/II/2021 जयपुर, दिनांकः - 3 MAY 2021

आदेश

श्री विजय कुमार, परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) विद्युत, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर दिनांक 19.03.2021 को गिरफ्तार किया जाकर 48 घन्टे से अधिक पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया है तथा श्री विजय कुमार के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 89/2021 पंजीबद्ध की गई है।

अतः राज्य सरकार राजस्थान सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री विजय कुमार को दिनांक 19.03.2021 से निलम्बित माने जाने (Deemed to have been Suspended) के एतद्द्वारा आदेश प्रदान करती है।

श्री विजय कुमार का निलम्बन काल के दौरान मुख्यालय सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के कार्यालय में रहेगा तथा इन्हें निलम्बन काल में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

आज्ञा से,

(राजपाल सिंह यादव)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. पुलिस अधीक्षक–प्रशासन, कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भ्रनिब/अशा/3/21/721–23 दिनांक 20.03.2021 के कम में।
4. आयुक्त/सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रयोजनार्थ रखी गई उपस्थिति पंजिका में श्री विजय कुमार की उपस्थिति दर्ज करावें तथा उन्हें यह भी निर्देश देवें कि वे अपना मुख्यालय आपकी पूर्व अनुमति के बिना नहीं छोडें। इन्हें इनके अवकाश वेतन के बराबर उस सीमा तक यदि वे अर्द्धवेतन अवकाश पर रहते, के बराबर निलम्बन काल में निर्वाह भत्ता एवं ऐसे वेतन पर अन्य भत्ते देय होंगे।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को श्री विजय कुमार, परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) विद्युत के निलम्बन आदेश की प्रति संलग्न कर लेख है कि कृपया उक्त निलम्बन आदेश श्री विजय कुमार को सुपुर्द कराकर प्राप्ति रसीद इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें तथा इन्हें सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ रखी गई उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित करें।
6. श्री विजय कुमार, परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) विद्युत, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ रखी उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करें।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

3.5.2021

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय